न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ (झुन्झुनू)
पीठासीन अधिकारी हवाई सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 69/2018

विमलकुमार पुत्र शिवप्रसाद जाति महाजन निवासी ग्राम डूमरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—आवेदक

बनाम

फूलचन्द पुत्र रडमल जाति जांगिड निवासी ग्राम डूमरा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
—अनावेदक

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

निर्णय दिनांक 18.01.2019

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम डूमरा की सरहद में आराजी नये ख.न 703/5.24 है0 स्थित है उक्त आराजी आवेदक व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 11 की अविभाजित कृषि सम्पदा है जिसे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त आराजी में आवेदक का 1/5 हिस्सा है व 1/5 हिस्सा अनावेदक नं. 2 का शेष 3/5 हिस्से में से 2.76 है0 भूमि अनावेदक नं. 1 के हिस्से की है एवं शेष 0.38 है0 भूमि प्रतिवादी नं. 3 , 4 एवं भादरमल पुत्र बंशीधर के नाम से दर्जशुदा है। भादरमल पुत्र बंशीधर का स्वर्गवास दिनांक 03.01.2018 को हो चुका है जिनके विधिक वारिस प्रतिवादी नं. 3 लगायत 11 है। इसिलिये मृतक भादरमल के स्थान र उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी नं. 3 लगायत 11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। राजस्व रिकार्ड शामलाती दर्ज है। आवेदक व अनावेदकगण नम्बर 1 लगायत 11 के मध्य उक्त आराजी का कभी भी विधिवत विभाजन नहीं हुआ है अंदाजन शांतिपूर्वक काश्त करते रहे हैं परन्तु सडक के सटी हुई भूमि कीमती होने से अनावेदक नं. 1 कि मन में बेईमानी पैदा हो गई है जिस कारण अनावेदक नं. 1 सडक से सटी भूमि पर कब्जा करना चाहता है जिसके लिय अनावेदक नं. 1 ने सडक के सटी हुई भूमि पर तारबंदी कर दी और सडक से सटी हुई भूमि पर फसल काश्त कर दी। आवेदक कमाने के लिये हैदराबाद रहता है बरसात होने पर अपने हिस्से की भूमि को काश्त करवाने के लिये आया तो अनावेदक नं. 1 ने सडक से सटी हुई सम्पूर्ण भूमि पर फसल काश्त कर रखी थी तब दिनांक 15.07.2018 को आवेदक ने अनावेदेक नं. 1 को उलाहना दिया तो अनावेदक नं. 1 ने आवेदक को एलानिया धमकी दी कि मैने तारबन्दी कर ली है एवं पुख्ता निर्माण भी करूंगा। अनावेदक नं. 1 को बिना विधिवत विभाजन के निश्चित भू भाग पर सडक से सटी कीमती भूमि पर कब्जा करने का कोई अधिकार नही है इसके बावजूद भी अनावेदक नं. 1 उक्त विधि विरूद्ध कार्य करनै पर आमादा है। इसलिये वादग्रस्त आराजी का आवेदक व अनावेदक 1 लगायत 11 के हिस्सेनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विधिवत विभाजन किया जाकर आवेदक के हिस्से की भूमि का खाता कायम कर अलग से सीमा व लगान कायम किया जाना आवश्यक है जिसे उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। अनावेदक नं. 1 द्वारा सडक से सटी कीमती भूमि पर कब्जा करने क उद्धेश्य से तारबन्दी की है और पुख्ता निर्माण कार्य करने को आमादा है जिसका उसे कोई विधिक अधिकार नही है इसलिये आवेदक को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। आवेदक वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है वादग्रस्त आराजी आवेदक की को—टीनेन्सी की भूमि है। इसलिये आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है आवेदक के हिस्से की भूमि का विधिवत विभाजन किया जाने से अनावेदक को किसी प्रकार की असुविधा नही होगी। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अनावेदक को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने मूल वाद ग्राम डूमरा की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 703 रकबा 5.24 है0 के किसी भी भू भाग पर पुख्ता निर्माण करके व अन्य किसी प्रकार से निर्माण करके विवादित भू भाग पर कब्जा नही करें व आवेदक के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करें।

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदक की गई। अनावेदक की और से वकील श्री दीपेन्द्रसिंह उपस्थित हुये तथा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया गया। हाला जमीन ख.न. 703 रकबा 5.24 है0 वाके ग्राम डूमरा के गत ख.न. 661 रकबा 5.24 है0 वाके ग्राम डूमरा थे। भू प्रबंध विभाने गत ख.न. 423मी वाके ग्राम डूमरा से गत ख.न. 555 रकबा 5.24 है0 वाके ग्राम डूमरा दर्ज किया जो इन्द्राजात भादरमल व प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 ने आवेदक व प्रतिवादी नं. 2 की सह से गलत दर्ज करवाये। वास्तविक तथ्य यह है कि प्रतिवादीगण नं. 3 से 10 के पिता भादरमल पुत्र बंशीधर जाति महाजन निवासी डूमरा ने जमीन गत ख.न. 423 रकबा 4 बीघा 7 के खातेदारी हकूक जरिये रजिस्टर्ड बयनामे से गीगा पुत्र नबु जाति सिक्का मुसलमान निवासी डूमरा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। यह बयनामा उक्त गीगा की ओर से भादरमल के हक में दिनिकि 28.01.1974 को निष्पादित किया गया। बयनामे में गत ख.न. 423 में से 4 बीघा 7 बिश्वा जमीन की दर्ज की गई हद्द में पूर्व विक्रेता की जमीन जो दामोदर महाजन को बेची पश्चिम में ख.न. के विक्रेता की जमीन दक्षिण में नत्थू की जमीन व उतर में भूरा पुत्र नबु सिक्का मुसलमान की जमीन दर्ज की गई है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी के अलग अलग रजि0 विक्रय पत्र हुये। इसी दौरान पैमाईस आने पर भूप्रबंध विभाग से इस जमीन का ख.न. 555 रकबा 5.24 है0 वाके ग्राम डूमरा दर्ज करवा लिया व इस जमीन की खातेदारी आवेदक व प्रतिवादी नं. 2 से 4 व भादरमल के नाम दर्ज करवाली जो राजस्व रिकार्ड में चलती रही। सन 1981 मं आवेदक व प्रतिवादीगण नं. 2 से 4 व भादरमल ने इस जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नाप कर बंटवारा कर लिया अलग अलग सीमा कायम करली। इस बंटवारे में जमीन ख.न. 703 रकबा 5.24 है0 में से उतर की तरफ 3.14 है0 जमीन प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 व भादर ने ली व दक्षिण की तरफ 2.10 है0 जमीन आवेदक व प्रतिवादी नं. 2 ने ली व सीमांकन कर लिया लेकिन बंटवारे अनुसार खाता विभाजन नही करवाया क्योंकि आवेदक व प्रतिवादी नं. 2 हैदाराबाद रहते थे व उनकी जमीन भी प्रविादीगण नं. 3 व 4 व भादरमल काश्त करते थे इस प्रकार उक्त विवरण के अनुसार जमीन में उतर की तरफ की 3.14 है0 जमीन के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 व भादरमल थे व काबिज थे व दक्षिण की तरफ की शेष जमीन 2.10 है0 आवेदक व प्रतिवादी नं. 2 की रही है व इस जमीन में आने के लिये बंटवारे के समय ख.न. 703 के पश्चिमी सींव के सहारे सहारे होकरक 8 फुट चौडा रास्ता रखा था।

जमीन हाल ख.. 703 के उतर में सडक व पश्चिम में स्व0 हीरालाल गुर्जर के वारीसान की भूमि व पूर्व में जमनसिंह राजपूत की भूमि है। अनावेदक नं. 1 फूलचन्द ने अपनी जमीन की सिंचाई हेतु अपनी जमीन मे सन 2002 में पुख्ता कुये का निर्माण करवाया व अनावेदक नं. 1 फूलचन्द को इस कुये में विद्युत कनेक्शन सन 2017 में मिला। कुये के निर्माण के समय ही छोटा हुनमानजी का मंदिर व बिजली फीटिंग के लिये छोटे कमरे का निर्माण अनावेदक नं. 1 ने करवा लिया था उक्त अनुसार चार दिवारी कुआ कमरा मंदिर का निर्माण अनावेदक नं. 1 ने हक से करवाया इसकी जानकारी आवेदक व प्रतिवादी नं. 2 से 4 व भादरमल को रही और इन्होने अनावेदक नं. 1 की जमीन होने के कारण ही सीमांकन व निर्माण में आपति नही की और न कोई कार्यवाही की। अनावेदक नं. 1 इस कृषि भूमि में रिहायशी भवन बनाकर मय परिवार आबाद है व पशु रखता है इसप्रकार अनावेदक का कब्जा दिनांक 05.12.2001 से उक्त जमीन पर लगातार हक से है और प्रतिवादीगण नं. 2 से 11 ने साजिस कर आवेदक से यह साजसी गलत दावा व प्रार्थना पत्र वास्तविकता को छुपाकर पेश किया है। आवेदक पत्र की धारा 4 व 5 के अनुसार अनावेदक का जमीन ख. न. 703/5.24 है0 वाके ग्राम डूमरा में से 2.76 है0 जमीन पर कब्जा अनावेदक का होना माना गया है व है इस जमीन में अनावेदक मय परिवार आबाद है व पशु रखता है व रिहायशी भवन है व विद्युत कनेक्शन उक्तानुसार है। आवेदक के कब्जे के बाबत उक्तानुसार तथ्य जबाब में दर्ज किये गये हैं। अनावेदक का ख. न. 703 में से 2.76 है0 पर कब्जा काश्त स्वीकृत रूप में होने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नही रह जाता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील आवेदक द्वारा कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी शामलाती व संयुक्त खातेदारी की दर्ज रिकार्ड है तथा रोड पर विवादित भूमि पर अनावेदक ने तारबंदी कर रखी है। वकील प्रतिवादी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। इस संबंध में वकील आवेदक द्वारा आरएलडब्लू 2003 (1) पेज नं. 587–590

उपखण्ड अधिकारी

तथा वकील अनावेदक द्वारा आरआरडी 14.06.2012 पेज नं. 21–24, आरएलडब्लू 2016(1)पेज नं. 687–690, आरएलडब्लू 2014(1)पेज नं. 660–662, आरएलडब्लू (1)राज पेज नं. 42–47 आदि नजीरें पेश की गई। बहस तथ्यों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत नजीरों व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम डूमरा संवत 2069 से 2072 के अनुसार भूमि ख.न. 703 रकबा 5.24 है0 की खातेदारी प्रमोदकुमार पुत्र शिवप्रसाद विमलकुमार पि. भादरमल भादर पुत्र बंशीधर हि. 0.38 है0 जाति महाजन फूलचन्द पुत्र रडमलराम जाति जांगिड हि. 2.76 है0 दर हि0 3/5 सा.देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है।

आदेश

उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी आवेदक व अनावेदक की शामलाती खातेदारी की भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त संबंध में विचाराधीन वाद का निर्णय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शहादत व दस्तावेजात तथा उन्हे सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर वाद का निर्णय होना है। अतः ता निर्णय दावा पक्षकारान के मध्य वाद बहुलता नहीं बढे वादग्रस्त आराजी के रिकार्ड व मौका कि यथास्थति बनाई रखे जाने हेतु दोनो पक्षों को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। पत्रावली मूल वाद के सलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 18.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़